संख्या–1263/63–व0उ0–2018

प्रेषक,

बी0 पी0 मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांकः 07 अगस्त, 2018

विषय :– उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंन्टिग पॉलिसी–2017 के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधा ('कताई–बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति, कालेजों को अनुदान, तथा सहायक हथकरघा बुनकर कर्मियों को मानदेय) के कियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–417/ह0क0–नियोजन/2018–19 दिनांक 26.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पॉलिसी के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधा ('कताई–बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति, कालेजों को अनुदान, तथा सहायक हथकरघा बुनकर कर्मियों को मानदेय) के कियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नानुसार निर्गत किये जाते है :–

खण्ड–अ

कताई–बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति

(शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.23 में वर्णित)

उपायुक्त (हथकरघा)

आयुक्त एवं निदेशक 08/08/18

श्री जगदीश प्रसाद

8.8.18 DC WL

1	वित्तीय सहायता का विवरण	I.	व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे संस्थागत छात्र/छात्रा, जो कताई–बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा–11, 12) की शिक्षा ग्रहण करे रहे हैं, को प्रोत्साहन देने के लिये रू0 500/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
		II.	योजनान्तर्गत देय छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 500/–प्रति माह की दर से माह जुलाई से माह अप्रैल तक कुल 10 माह हेतु देय है। अर्थात् एक छात्र/छात्रा को प्रतिवर्ष कुल धनराशि रू0 5000/– देय है।
		III.	कताई–बुनाई विषय का कोई छात्र/छात्रा यदि किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहा/रही है, तो उस स्थिति में भी यह छात्रवृत्ति देय होगी।
	पात्रता की शर्ते	I.	इस घटक के अन्तर्गत प्राविधानित वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश के मान्यताप्राप्त कालेजों के उन छात्रों को देय है, जो कताई बुनाई विषय से अध्ययनरत हैं।
		II.	कताई–बुनाई 11वीं कक्षा के छात्र/छात्रा को 11वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्रवृत्ति देय होगी। इसी प्रकार 12वीं कक्षा के छात्र/छात्रा को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्रवृत्ति देय होगी।
		III.	11वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होने की स्थिति मे छात्रवृत्ति देय होगी।
	आवेदन की प्रकिया	I.	छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त करने लिये सम्बन्धित छात्र/छात्रा को शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार निर्धारित प्रारूप–13 (परिशिष्ट 'क–1') पर आवेदन–पत्र सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना होगा।
		II.	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन–पत्र का समुचित परीक्षण करने के उपरान्त पात्र आवेदन–पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा।
		III.	अग्रसारण–पत्र हेतु प्रारूप–16(अ) (परिशिष्ट 'क–2') निर्धारित है।

शिविर निदेशक (ह०क०)
डायरी न० 326
दिनांक 08/08/18

जिसके साथ अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन–पत्रों की **एकमुश्त सूची** भी संलग्न की जायेगी। सूची हेतु प्रारूप–16(ब) (परिशिष्ट 'क–3') निर्धारित है।

IV. **एकमुश्त सूची का अभिप्राय** :– एकमुश्त सूची का अभिप्राय यह है कि किसी वित्तीय वर्ष में समस्त लाभार्थी छात्रों की सूची एकबार में ही सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा को प्रेषित की जायेगी, आंशिक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार सूची प्रेषित नहीं की जायेगी।

आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण

प्राप्त आवेदन–पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर से. अपेक्षित प्रकियायें

I. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र का विवरण योजनान्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। इस हेतु जनपदवार अलग–अलग रजिस्टर तैयार किये जायेंगे।

II. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन–पत्रों की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन द्वि–सदस्यीय **परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी** द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा।

III. परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की सूची (बैंक–खाता एवं अपेक्षित वित्तीय सहायता के विवरण सहित) परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित की जायेगी।

परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची पर मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रकियायें

I. मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकरी द्वारा राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची कमेटी के परीक्षणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

II. राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में अनुमोदित धनराशि का बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।

III. शासन की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थी छात्रों के पक्ष में छात्रवृत्ति की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी

लाभार्थी को वित्तीय सुविधा के वितरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकियाओं हेतु समय–सीमा

I. लाभार्थी छात्र/छात्रा द्वारा सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना – **माह अगस्त के प्रथम सप्ताह तक**

II. पात्र आवेदन–पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन–पत्र उपलब्ध कराना – **माह सितम्बर तक**

III. परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की बैठक – **माह अक्टूबर तक**

IV. राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक – **माह नवम्बर तक**

V. शासन द्वारा धनराशि व्यय की स्वीकृति – **माह दिसम्बर तक**

VI. लाभार्थी के बैंक–खाते में अनुदान राशि का अन्तरण –**माह जनवरी तक**

परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना

I. सम्बन्धित जनपद के डी0आई0ओ0एस0 – **सदस्य**

II. परिक्षेत्रस्तरीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – **संयोजक**

राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना

I. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय – **अध्यक्ष**

II. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग – **सदस्य**

III. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर– **सदस्य**

IV. प्रबन्ध निदेशक, यूपिका कानपुर– **सदस्य**

V. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान– **सदस्य** कानपुर

VI. प्रबन्ध निट्रा पावरलूम सर्विश सेन्टर ,कानपुर –**सदस्य**

VII. वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0– **सदस्य**

VIII. संयक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0–**सदस्य**

IX. योजनाधिकारी, वस्त्र नीति कियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0– **सदस्य**

खण्ड–ब

कताई–बुनाई विषय के प्रयोगिक कार्यों हेतु इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान

(शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.24 में वर्णित)

1 अनुदान का विवरण

I. इस घटक के अन्तर्गत बुनाई विषय से सम्बन्धित ऐसे कालेजों को वित्तीय सहायता अनुमन्य है जिन्हें बुनाई विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए संसाधनों के कय हेतु जितनी मात्रा में कुल वित्तीय सहायता अपेक्षित है, योजना की व्यवस्थानुसार एकमुश्त देय है।

II. इस घटक के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सहायता निम्नलिखित सामग्रियों के कय हेतु अनुमन्य है :–
- नवीन हथकरघा के कय हेतु
- हथकरघा के विभिन्न पार्ट्स आदि के कय हेतु
- हथकरघा के सहवर्ती उपकरणों, यथा :– डॉबी, जैकार्ड आदि के कय हेतु
- कच्चा माल, यथा :– सूत, रंग, रसायन आदि के कय हेतु

III. उपरोक्त समस्त मदों हेतु एकमुश्त धनराशि की अधिकतम सीमा प्रति कालेज रू0 5 लाख अनुमन्य है। यह धनराशि कालेज को एकमुश्त मात्र एक बार दी जायेगी।

पात्रता की शर्तें

I. इस घटक के अन्तर्गत प्राविधानित वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश के उन मान्यताप्राप्त कालेजों को देय है, जिनके पास कताई–बुनाई विषय के छात्रों को समुचित मात्रा में प्रायोगिक कार्य कराने हेतु अपेक्षित संसाधन नहीं है। अतः संसाधनों की कमी को पूर्ण करने के लिए बुनाई विषय के प्रायोगिक कार्य से सम्बन्धित आवश्यक सामग्रियों के कय हेतु समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कालेजों को यह अनुदान देय है।

आवेदन की प्रक्रिया

I. शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार लाभार्थी कालेज को अपेक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रारूप–12 निर्धारित था।

II. उक्त प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए **प्रारूप–12 (संशोधित) (परिशिष्ट–ख)** निर्धारित किया गया है।

III. लाभार्थी कालेज द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप–12 (संशोधित) पर आवेदन किया जायेगा।

आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण

प्राप्त आवेदन–पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अपेक्षित प्रकियायें

I. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र का विवरण योजनान्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

II. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन–पत्रों की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन द्वि–सदस्यीय **परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी** द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा।

III. परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की सूची (बैंक–खाता एवं अपेक्षित वित्तीय सहायता के विवरण सहित) परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित की जायेगी।

परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची पर मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रकियायें

I. मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकरी द्वारा राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची कमेटी के परीक्षणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

II. राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में अनुमोदित धनराशि का बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।

III. राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त एवं शासन की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थियों के पक्ष में डी0बी0टी0 के माध्यम से मानदेय की धनराशि अन्तरित की जायेगी।

लाभार्थी को वित्तीय सुविधा के वितरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समय–सीमा	I.	लाभार्थी कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन–पत्र उपलब्ध कराना – **माह सितम्बर तक**
	II.	परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की बैठक – **माह अक्टूबर तक**
	III.	राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक – **माह नवम्बर तक**
	IV.	शासन द्वारा धनराशि व्यय की स्वीकृति – **माह दिसम्बर तक**
	V.	लाभार्थी के बैंक–खाते में अनुदान राशि का अन्तरण – **माह जनवरी तक**
परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I.	सम्बन्धित जनपद के डी0आई0ओ0एस0 – **सदस्य**
	II.	परिक्षेत्रस्तरीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – **संयोजक**
राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I.	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय – **अध्यक्ष**
	II.	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग – **सदस्य**
	III.	प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर– **सदस्य**
	IV.	प्रबन्ध निदेशक, यूपिका कानपुर– **सदस्य**
	V.	निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,कानपुर– **सदस्य**
	VI.	प्रबन्ध निट्रा पावरलूम सर्विश सेन्टर, कानपुर –**सदस्य**
	VII.	वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0– **सदस्य**
	VIII.	संयक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0–**सदस्य**
	IX.	योजनाधिकारी, वस्त्र नीति कियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0– **सदस्य**

खण्ड–स
हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय
(शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.25 में वर्णित)

1	वित्तीय सहायता का विवरण	I.	15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति, जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रू0 1,000/– प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।
2	पत्रता की शर्ते	I.	लाभार्थी की आयु 15 वर्ष से 22 वर्ष के बीच हो।
		II.	लाभार्थी को इस घटक के अन्तर्गत प्राविधानित वित्तीय सहायता उन्हीं हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को देय है, जो किसी हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के सदस्य है तथा समिति जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा समिति द्वारा जी0एस0टी0 रिटर्न नियमित रूप से दाखिल किया जा रहा हो। साथ ही समिति कार्यरत अवस्था में हो।
		III.	लाभार्थी का विवरण सम्बन्धित समिति के अभिलेखों में अलग से (पृथक रजिस्टर में) सहायक हथकरघा बुनकर के रूप में दर्ज हो।
		IV.	मात्र उन्हीं लाभार्थियों को मानदेय हेतु पात्र माना जायेगा, जो मानदेय हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आवेदन करते हैं।
	आवेदन की प्रकिया	I.	मानदेय की सुविधा प्राप्त करने लिये लाभार्थी को शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार निर्धारित प्रारूप–14 **(परिशिष्ट 'ग–1')** पर आवेदन–पत्र सम्बन्धित समिति के सचिव/सभापति को प्रस्तुत करना होगा।
		II.	सम्बन्धित समिति के सचिव/सभापति द्वारा आवेदन–पत्र का समुचित परीक्षण करने के उपरान्त पात्र आवेदन–पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा।
		III.	अग्रसारण–पत्र हेतु प्रारूप–17(अ) **(परिशिष्ट 'ग–2')** निर्धारित है। जिसके साथ अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन–पत्रों की सूची भी संलग्न की जायेगी। सूची हेतु प्रारूप–17(ब) **(परिशिष्ट 'ग–3')** निर्धारित है।

आवेदन–पत्र का प्रसंस्करण

प्राप्त आवेदन–पत्र पर परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अपेक्षित प्रकियायें	I.	परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र का विवरण योजनान्तर्गत सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। इस हेतु जनपदवार अलग–अलग रजिस्टर तैयार किये जायेंगे।
	II.	परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा आवेदन–पत्रों की पात्रता का परीक्षण/मूल्यांकन द्वि–सदस्यीय **परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी** द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कराया जायेगा।
	III.	परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की सूची (बैंक–खाता एवं अपेक्षित वित्तीय सहायता के विवरण सहित) परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (मुख्यालय) को प्रेषित की जायेगी।
परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची पर मुख्यालय स्तर से अपेक्षित प्रकियायें	I.	मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित योजनाधिकारी द्वारा राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित करायी जायेगी। उक्त बैठक में परिक्षेत्रों से प्राप्त लाभार्थियों की सूची कमेटी के परीक्षणार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
	II.	राज्यस्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में अनुमोदित धनराशि का बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।
	III.	शासन की स्वीकृति के उपरान्त कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थी के पक्ष में मानदेय की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जायेगी ।
लाभार्थी को वित्तीय सुविधा के वितरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकियाओं हेतु समय–सीमा	I.	लाभार्थी सहायक कर्मी द्वारा सम्बन्धित समिति के सभापति/सचिव को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना – **माह अगस्त के प्रथम सप्ताह तक**
	II.	पात्र आवेदन–पत्रों को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित समिति के सभापति/सचिव द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन–पत्र उपलब्ध कराना – **माह सितम्बर तक**
	III.	परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की बैठक – **माह अक्टूबर तक**
	IV.	राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक – **माह नवम्बर तक**
	V.	शासन द्वारा धनराशि व्यय की स्वीकृति – **माह दिसम्बर तक**
	VI.	लाभार्थी के बैंक–खाते में अनुदान राशि का अन्तरण –**माह जनवरी तक**
परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I.	प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित बुनकर सेवा केन्द्र – **सदस्य**
	II.	परिक्षेत्रस्तरीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – **संयोजक**
राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना	I.	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय – **अध्यक्ष**
	II.	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग – **सदस्य**
	III.	प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर– **सदस्य**
	IV.	प्रबन्ध निदेशक, यूपिका कानपुर– **सदस्य**
	V.	निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान– **सदस्य** कानपुर
	VI.	प्रबन्ध निट्रा पावरलूम सर्विश सेन्टर ,कानपुर –**सदस्य**
	VII.	वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0– **सदस्य**
	VIII.	संयक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0–**सदस्य**
	IX.	योजनाधिकारी, वस्त्र नीति कियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0– **सदस्य**

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1263(1)/63–व0उ0–2018 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

5– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, माल एवेन्यू, लखनऊ।

6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव।

प्रारूप–13

वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित "कताई–बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति" सुविधा हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

आवेदन–पत्र की पहचान संख्या (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का कमांक				आवेदन प्राप्ति की तिथि

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
विद्यालय ....
पता...

छात्र/छात्रा का नवीनतम फोटो

परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमाणित

महोदय,

मैं उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित "कताई–बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति" सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ। मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :–

1	छात्र/छात्रा का नाम–	
2	पिता का नाम–	
3	जन्म तिथि–	
4	पता–	
5	आधार नम्बर– (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाये)	
6	मोबाइल नं0	
7	लिंग (पुरूष/महिला)	
8	वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0)	
9	विकलांगता की स्थिति (विकलांग/गैर–विकलांग)	
10	अल्पसंख्यक/गैर–अल्पसंख्यक	
11	छात्र की वर्तमान अध्ययन स्थिति (12वीं कक्षा में अध्ययनरत अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण)	

12– शैक्षिक योग्यता का विवरण
(उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष में देय छात्रवृत्ति (रू0)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1					
2					
				योग	

13– बैंक खाते का विवरण
(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क0	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है	बैंक–शाखा का नाम	विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष में देय छात्रवृत्ति (रू0)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट 'क–2'

प्रारूप–16 (अ)

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु अग्रसारण–पत्र (कताई–बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवेदन–पत्रों का अग्रसारण)

आवेदन पत्र का कमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का कमांक					प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सहायक आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
परिक्षेत्र ....

महोदय,

हमारे विद्यालय में कताई–बुनाई विषय से 11वीं एवं 12वी कक्षा में अध्ययनरत/उत्तीर्ण छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप–13 पर आवेदन किया गया है। छात्रों के आवेदन–पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित किये जा रहें है।

क0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	कालेज का नाम एवं पता		1. कालेज के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र (संलग्न पृष्ठ कमांक ....) 2. कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ कमांक ....) 3. निर्धारित प्रारूप–13 पर आवेदन–पत्र 4. प्रारूप–13 के आवेदन–पत्रों की सूची निर्धारित प्रारूप–16 व पर (संलग्न पृष्ठ कमांक ....)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		
3	कालेज को मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड का नाम		
4	वित्तपोषण के परिप्रेक्ष्य में कालेज की स्थिति		
5	कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं0		
5(iv)	ई–मेल आई0 डी0		
5(v)	आधार नं0		
6	प्रारूप–13 पर आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या		
7	छात्रवृत्ति हेतु अनुदान की धनराशि की गणना		

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि अग्रसारित किये जा रहे आवेदन–पत्र इस विद्यालय में कताई–बुनाई विषय के संस्थागत छात्रों के है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल .... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

परिशिष्ट 'क–3'

प्रारूप–16 ब

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा (कताई–बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति) हेतु अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन–पत्रों की सूची

कालेज का नाम एवं पता ....

क्र0	छात्र का नाम	पिता का नाम	आधार नं0	मोबाइल नं0	बैंक खाते का विवरण					आवेदित धनराशि
					खाता संख्या	खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	आई0 एफ0 एस0सी0 कोड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								योग		

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप–12

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(कताई–बुनाई विषय के कालेजों को प्रायोगिक कार्य हेतु अनुदान)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	कालेज का नाम एवं पता		1. कालेज के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....) 2. कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....) 3. प्रायोगिक कार्य की डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		
3	कालेज को मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड का नाम		
4	वित्तपोषण के परिप्रेक्ष्य में कालेज की स्थिति		
5	कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं0		
5(iv)	ई–मेल आई0 डी0		
5(v)	आधार नं0		
6	कालेज में कताई–बुनाई विषय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या (कक्षावार)		
7	प्रायोगिक कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0)		

13– बैंक खाते का विवरण

(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क्र0	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है	बैंक–शाखा का नाम	विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष में देय छात्रवृत्ति (रू0)
1	2	3	4	5	6

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र–विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल .... पृष्ठ

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

परिशिष्ट 'ग–1'

प्रारूप–14

वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित 'हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय" सुविधा हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

आवेदन पत्र का कमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का कमांक					प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सचिव/सभापति

मेसर्स...

....

जनपद...

सहायक कर्मी का नवीनतम फोटो परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमाणित

महोदय,

मैं उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित " हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय" सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ। मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :–

1	सहायक बुनकर का नाम–	
2	पिता का नाम–	
3	जन्म तिथि–	
4	पता–	
5	सहायक कर्मी का वर्तमान कार्य	
6	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	
5	आधार नम्बर– (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाये)	
6	मोबाइल नं0	
7	लिंग (पुरूष/महिला)	
8	वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0)	
9	विकलांगता की स्थिति (विकलांग/गैर–विकलांग)	
10	अल्पसंख्यक/गैर–अल्पसंख्यक	

11– बैंक खाते का विवरण

(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क0	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है	बैंक–शाखा का नाम	विगत वर्ष में प्राप्त मानदेय	वर्तमान वर्ष में देय मानदेय (रू0)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

घोषणा :–मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 के नियमों के अधीन है/हूँ। मेरे द्वारा दी गयी सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि कोई तथ्य भ्रामक/असत्य पाया जाता है तो उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 के नियमों के अधीन समस्त प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

दिनांक :

(सहायक कर्मी के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट 'ग–2'

प्रारूप–17 (अ)

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु अग्रसारण–पत्र
(हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय सम्बन्धी आवेदन–पत्रों का अग्रसारण)

(यह अग्रसारण पत्र उन्ही समितियों द्वारा अग्रसारित किया जाये, जिनका संचालक मण्डल वैध हो तथा समस्त अभिलेख पूर्ण हों)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड		जनपद कोड		आवेदन का क्रमांक					प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सहायक आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
परिक्षेत्र ....

महोदय,

हमारी समिति के सदस्य बुनकरों के सहायक कर्मियों द्वारा उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 में वर्णित "हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय" हेतु निर्धारित प्रारूप–14 पर आवेदन किया गया है। सहायक कर्मियों के आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यों का समिति के अभिलेखों से मिलान करने के उपरान्त उचित पाये गये आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित किये जा रहे हैं।

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	समिति का नाम एवं पता		1. समिति के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....) 2. समिति के सभापति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....) 3. निर्धारित प्रारूप–14 पर आवेदन–पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....) 4. प्रारूप–14 के आवेदन–पत्रों की सूची निर्धारित प्रारूप–17 ब पर (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....) 5. समिति की आडिटेड बैलेन्सशीट (संलग्न पृष्ठ क्रमांक ....)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		
3	कार्यशील सदस्य बुनकरों की संख्या		
4	सदस्य बुनकरों के सहायक कर्मियों की संख्या		
5	समिति के सभापति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं0		
5(iv)	ई–मेल आई0 डी0		
5(v)	आधार नं0		
	समिति का संचालक मण्डल		
6	प्रारूप–14 पर आवेदन करने वाले सहायक कर्मियों की कुल संख्या		
7	मानदेय हेतु अनुदान की कुल धनराशि (रू0)		
8	समिति के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक		

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि अग्रसारित किये जा रहे आवेदन–पत्र इस समिति में कार्यरत बुनकरों के सहायक कर्मियों के है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार कुल .... पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

परिशिष्ट 'ग–3'

प्रारूप–17 (ब)

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2017 के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा (सहायक कर्मियों को मानदेय) हेतु अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन–पत्रों की सूची

समिति का नाम एवं पता ....

समिति का पंजीकरण संख्या ....

क्र0	सहायक कर्मी का नाम	सम्बन्धित बुनकर का नाम	आधार नं0	मोबाइल नं0	आयु	बैंक खाते का विवरण					आवेदित धनराशि
						खाता संख्या	खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	आई0 एफ0 एस0सी0 कोड	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									योग		

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

Madhyamik Shiksha Parishad Uttar Pradesh, Allahabad

School-wise Registered Candidates in Vocational Trade

Subject -WEAVING TECHNICH (बुनाई तकनीक) in Intermediate Examination 2017

sl	distt	distt_name	sch	sch_name	cand
1	04	ETAH	1050	R A B INTER COLLEGE MAREHRA ETAH	10
2	04	ETAH	1064	JANTA INTER COLLEGE KAILTHA ALIGANJ ETAH	13
3	04	ETAH	1069	JANTA INTER COLLEGE PARSON ETAH	71
4	06	ALIGARH	1018	R P D A V GIRLS I C ALIGARH	48
5	09	BULANDSHAHR	1030	INT COLL SHAHKARI NAGAR BULANDSHAHR	13
6	09	BULANDSHAHR	1135	KALYAN KARI I C CHANDAUK BULANDSHAHR	11
7	12	MEERUT	1101	JAWAHAR INT COLL CHHOTA MAWANA MEERUT	7
8	17	SHAMLI	1094	DAV INT COLL UN SHAMLI	5
9	24	RAMPUR	1036	HIRA INTER COLLEGE MEHANDIPUR RAMPUR	24
10	27	BUDAUN	1038	PRAMOD I COLLEGE SAHASWAN BADAUN	17
11	33	HARDOI	1037	S D D A I C SANDI HARDOI	19
12	33	HARDOI	1054	PANT INTERMEDIATE COLLEGE PALI HARDOI	25
13	41	ETAWAH	1023	GOVT GIRLS INTER COLLEGE ETAWAH	20
14	41	ETAWAH	1034	JIC PUTHAN SAKRAULI JAGSAURA ETAWAH	18
15	50	MAHOBA	1007	GOVT GANGA SINGH I C CHARKHARI MAHOBA	56
16	51	BANDA	1015	PJL N AKHAND INTER COLL CHANDWARA BANDA	48
17	54	PRATAPGARH	1035	RAM RAJ INTER COLLEGE PATTI PRATAPGARH	25
18	57	KAUSHAMBI	1009	SHRI HUBLAL INT COLL BHARWARI KAUSHAMBI	9
19	61	SULTANPUR	1035	C L INTER COLLEGE CHHITEPATTI SULTANPUR	8
20	63	BARABANKI	1019	UNION INTER COLLEGE RAMNAGAR BARABANKI	29
21	66	BAHRAICH	1016	HUKUM SINGH I C KAISARGANJ BAHRAICH	94
22	78	KUSHI NAGAR	1013	J I C KAPTANGANJ KUSHINAGAR	19
23	78	KUSHI NAGAR	1023	G T D INTER COLLEGE PADRAUNA KUSHINAGAR	10
24	80	AZAMGARH	1051	GOVT GIRLS INTER COLLEGE AZAMGARH	1
25	80	AZAMGARH	1069	SRI SHANKARJI IC KATAWA GAHAJI AZAMGARH	7
26	80	AZAMGARH	1096	INTER COLLEGE KAPTANGANJ AZAMGARH	5
27	80	AZAMGARH	1106	GANDHI INTER COLLEGE MALTARI AZAMGARH	11
28	81	MAU	1030	NATIONAL I C MOHAMMADABAD GOHNA MAU	4
29	81	MAU	1054	BAPU INTER COLLEGE KOPAGANJ MAU	5
30	83	JAUNPUR	1060	GOVT GIRLS INTER COLLEGE JAUNPUR	6
31	84	GHAZIPUR	1069	T N INTER COLLEGE SAIDPUR GHAZIPUR	1
32	86	CHANDAULI	1037	KHANDWARI DEVI I C CHAHANIYA CHANDAULI	2
33	86	CHANDAULI	1041	A N GOVT INT COLL CHAKIA CHANDAULI	36
34	89	MIRZAPUR	1007	A S J I C MIRZAPUR	3
35	89	MIRZAPUR	1018	GOVT GIRLS I C CHUNAR MIRZAPUR	26
36	89	MIRZAPUR	1041	S S P S I COLL PANWARI KALAN MIRZAPUR	30
				Total-	736